न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –85/2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/121

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
रामनिवास पुत्र मूलाराम जाति माली उम्र वयस्क निवासी नया दरवाजा मौहल्ला नागौर तहसील व जिला नागौर ।		1. किसनाराम पुत्र मूलाराम उम्र वयस्क 2. रामदेव पुत्र मूलाराम उम्र वयस्क 3. राजेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश उम्र वयस्क जातियान माली निवासीगण नया दरवाजा मौहल्ला नागौर 4. तहसीलदार भू.अ. नागौर 5. पटवारी हल्का मानासर तहसील नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री शिवचन्द पारीक, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 की ओर से वकील श्री रामकिशोर मुण्डेल, रेस्पोडेन्ट संख्या–4 व 5 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 18-10-2022

अपीलान्ट द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रामनिवास, किशनाराम, रामदेव पुत्रगण मूलाराम माली सा. नागौर व राजेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश जाति माली सा. मौहल्ला बस्सी नागौर के ग्राम इन्दास के खसरा नम्बर 251 रकबा 123.17 बीघा भूमि का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में तहसीलदार(भू.अ.) नागौर द्वारा पारित आदेश कमांक–भू.अ./रा.शि/17/21 दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि हाल ही में पक्षकारान के मध्य धारा 128 राज0 ले. रे. एक्ट का सम्मन अपीलांट को प्राप्त हुआ तब अपीलांट को जानकारी हुई कि अपीलांट के हक हिस्से को खसरा नं. 251 के रास्ता की भूमि जो रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा बनता है, में समाप्त कर दिया गया है और कथित भूमि जो रास्ता के रूप में दर्ज की गयी थी उसे खेत खसरा नं. 251 के दक्षिणी सीमा तक बढ़ा दिया गया है। जबकि पक्षकारान में उपरोक्त प्रकार से कभी सहमति नहीं हुई थी, इसलिए अपीलांट को उपरोक्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.7.2021 प्राप्त कर अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। इससे पूर्व अपीलांट इसी विश्वास में था कि पटवारी ने पक्षकारान के बताये अनुसार ही बंटवाड़ा के अनुसार लिखापढी कर इन्द्राज रेकर्ड में कर दिया है व मौके पर अपीलांट भी माफिक बंटवाड़ा अपने हिस्से पर काबिज है व आज भी रास्ता की भूमि का अनवरत उपयोग उपभोग कर रहा है। कथित प्रकरण जो धारा 128 ले.रे.एक्ट में दर्ज किया है के संबंध में न्यायिक सलाह लेने पर व दस्तावेज प्राप्त करने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि पक्षकारान की सहमति के विपरीत रास्ता को बढ़ा दिया गया व रास्ता की भूमि में अपीलांट का नाम हटा दिया है जिससे जानकारी होने पर यह अपील पेश

की गई है, जिसे अन्दर मियाद जानकारी से शुमार किया जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री शिवचन्द पारीक ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट की मयाद प्रार्थना स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। राजपैरोकार व वकील रेस्पोडेन्ट श्री रामकिशोर मुण्डेल ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पक्षकारान के पूर्वजो के समय की कब्जासुद भूमि खसरा नं. 251 रकबा 123 बीघा 17 बिस्वा वाके मौजा इन्दास रहती चली आई है जिस पर पक्षकारान ने बराबर हिस्सा करते हुए सभी पक्षकारान के हिस्से में आने जाने के लिए रास्ता की भूमि का निर्धारण करते हुऐ कथित रास्ता की भूमि को पक्षकारान के हिस्से में बराबर बराबर रखने का निवेदन करते हुऐ बंटवाड़ा के लिए आवेदन पेश किया जिस पर न्याय आपके द्वारा केम्प 2017 में दिनांक 28.6.2017 के आदेश द्वारा बंटवाड़ा स्वीकृत करते हुऐ नक्शा लट्ठा में तरमीम करने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई है।

तहसीलदार भू.अ. के समक्ष पक्षकारान ने आपसी सहमति के द्वारा जोत के विभाजन हेतु प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में बराबर बराबर भूमि रखने का निवेदन करते हुऐ आवेदन पेश किया था व यह भी निवेदन किया कि कथित भूमि में से 5 बीघा 9 बिस्वा को नक्शा अनुसार सभी पक्षकारान के हिस्से में बराबर रखा जावेगा, जिस स्थिति को दरकिनार करते हुए प्रत्येक खातेदार के हिस्से में 29 बीघा 12 बिस्वा भूमि तो दर्ज कर दी गयी लेकिन जो 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज की गयी उसमें अपीलांट का हिस्सा हटा दिया गया जो गलत व सहमति के विरूद्ध है जिससे उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

पक्षकारान ने खसरा नं. 251 में प्रत्येक का 29 बीघा 12 बिस्वा के हिसाब से हिस्से निर्धारित किये थे साथ ही खसरा नं. 251 में से ही मौके पर आवजाव के लिए 5 बीघा 9 बिस्वा रास्ता के रूप में रखना तय किया जो रास्ता की भूमि बंटवाड़ा में पक्षकारान के बराबर बराबर रखना तय किया लेकिन उक्त रास्ता की 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में अपीलांट के हक हिस्से को दरकिनार करते हुऐ 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि मात्र किसनाराम, रामदेव पिसरान मूलाराम व राजेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश रेस्पो.सं. 1 से 3 के नाम ही दर्ज की गयी जबकि पक्षकारान के मध्य सहमति यह हुई कि कथित 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में अपीलांट सहित रेस्पो.सं. 1 से 3 का बराबर बराबर हिस्सा दर्ज रहेगा। कथित आदेश के द्वारा उक्त 5 बीघा 9 बिस्वा में अपीलांट के हक हिस्से को समाप्त कर देना पक्षकारान ने कभी भी तय नहीं किया था जिससे कथित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने प्रत्येक पक्षकार का उनके हिस्से की भूमि में बराबर बराबर हिस्सा व रास्ते के रूप में रखी जाने वाली भूमि में भी प्रत्येक पक्षकार का बराबर बराबर हिस्सा रखने का निवेदन किया था लेकिन रास्ते के रूप में दर्ज की गयी 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में अपीलांट के अधिकारो को बिना सहमति से समाप्त कर दिया। कथित भूमि के बंटवाड़े के संबंध में प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये नक्शे में खसरा नं. 251 के उतरी पूर्वी कॉर्नर से उतरी सींव के सहारे सहारे खेत के मध्य भाग में आकर खसरा नं. 251 के दक्षिणी सींव तक पहुंचने से पहले ही 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि को रास्ता के रूप में उक्त खातेदारो के लिए रखे जाने की सहमति हुई थी जो पटवारी हल्का द्वारा नक्शा में दर्ज करने का विश्वास दिलाया गया था। लेकिन अपीलांट के हक हिस्से को उक्त 5 बीघा 9 बिस्वा में अवेध रूप से बिना जानकारी के समाप्त कर दिया एवं हाल ही में पक्षकारान के मध्य धारा 128 राज0 ले. रे.एक्ट का सम्मन अपीलांट को प्राप्त हुआ तब अपीलांट को जानकारी हुई कि अपीलांट के हक हिस्से को खसरा नं. 251 के रास्ता की भूमि जो रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा बनता है, में समाप्त कर दिया गया है और कथित भूमि जो रास्ता के रूप में दर्ज की गयीथी उसे खेत खसरा नं. 251 के दक्षिणी सीमा तक बढ़ा दिया गया है। जबकि पक्षकारान में उपरोक्त प्रकार से कभी सहमति नहीं हुई थी, इसलिए अपीलांट को उपरोक्त कार्मवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.7.2021 प्राप्त कर अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

कलक्टर, नागौर

इससे पूर्व अपीलांट इसी विश्वास में था कि पटवारी ने पक्षकारान के बताये अनुसार ही बंटवाड़ा के अनुसार लिखापढी कर इन्द्राज रेकर्ड में कर दिया है व मौके पर अपीलांट भी माफिक बंटवाड़ा अपने हिस्से पर काबिज है व आज भी रास्ता की भूमि का अनवरत उपयोग उपभोग कर रहा है। कथित प्रकरण जो धारा 128 ले.रे.एक्ट में दर्ज किया है के संबंध में न्यायिक सलाह लेने पर व दस्तावेज प्राप्त करने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि पक्षकारान की सहमति के विपरीत रास्ता को बढ़ा दिया गया व रास्ता की भूमि में अपीलांट का नाम हटा दिये जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने आदेश जर अपील दिनांक 28.6.2017 संशोधित किया जाकर खसरा नं. 251 मौजा इन्दास में रास्ता की भूमि जिसका रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के साथ अपीलांट का भी नाम दर्ज करने और पक्षकारान की सहमति के अनुसार ही राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज करने एवं सहमति के विपरीत किये गये इन्द्राजो व स्थिति को हटवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री शिवचन्द पारीक ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री रामकिशोर मुण्डेल ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 251 मौजा इन्दास के आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया, जिसमें काश्त योग्य भूमि का बराबर–बराबर विभाजन किया गया तथा शेष रास्ता के लिए छोड़ी गई भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 749/251 मौजा इन्दास का विभाजन के समय किशनाराम, रामदेव तथा राजेश्वरी का खसरा नम्बर 251 में से 5 बीघा 9 बिस्वा मौजा इन्दास का नक्शा अनुसार बंट व कब्जा काश्त में रखा गया था। 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि रास्ता के प्रयोजन की होने से अपीलान्ट ने भी बंटवारे की सहमति दिनांक 28.06.2017 को दी, जिससे अपीलान्ट विबंधित होने से अपील भी नहीं कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का आदेश पक्षकारान जिसमें अपीलान्ट भी सम्मिलित है कि सहमति के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया है। अपीलान्ट ने जानबूझ कर अब आदेश जैर अपील दिनांक 28.06.2017 पारित होने के पश्चात चार वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद बदयान्तीपूर्वक रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। उक्त बंटवारा अनुसार बंटशुदा किये जाने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील श्री रामकिशोर मुण्डेल द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट रामनिवास एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत ग्राम इन्दास के खसरा नम्बर 251 रकबा 123.17 बीघा भूमि का आपसी समझोते के अनुसार बंटवाड़ा करने एवं खसरा नम्बर 251 में से रकबा 5–09 बीघा किस्म बा–4 हिस्सा किशनाराम, रामदेव पि.मूलाराम, राजेश्वरी पत्नी ओमप्रकाश माली (राजेश्वरी का हिस्सा रहन एचडीएफसी बैंक) राजस्व रेकर्ड में अंकित करने हेतु आवेदन अपने हस्ताक्षर कर तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पर अपीलान्ट के भी हस्ताक्षर है। उक्त आवेदन के साथ 100/–रूपये के स्टाम्प पर भी खातेदारान में अपीलान्ट ने भी उक्तानुसार सहमति बाबत अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त संबंध में नक्शा ट्रेस भी अपीलान्ट ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर उक्त बंटवारा आदेश जैर अपील आदेश दिनांक 28.06.2017 पारित किया है। उक्तानुसार रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 की सहमति के आधार पर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर